चतुर्दश माला, खंड 25, अंक 1

शुक्रवार, 23 फरवरी, 2007
4 फाल्गुन, 1928 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 62
Dated 2 Aug 2007

(खण्ड 25 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी. डी. टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए. के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक – I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक – II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 25, दसवां सत्र, 2007/1928 (शक)

अंक 1, शुक्रवार, 23 फरवरी, 2007/04 फाल्गुन, 1928 (शक)

विषय	कॉलम
चौदहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची	iii - xxi
लोक सभा के पदाधिकारी	xxiii
मंत्रिपरिषद्	xxv-xxvii
राष्ट्रगान	1
राष्ट्रपति का अभिभाषण	1-18
त्रिनिदाद और टोबेगो गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	18
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
पानीपत के निकट दिल्ली–अटारी लिंक एक्सप्रेस में विस्फोट के कारण आग	19-21
निधन संबंधी उल्लेख	21-24

चौदहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची

अंगड़ि, श्री सुरेश (बेलगाम)

अंतुले, श्री ए. आर. (कुलाबा)

अंसारी, श्री फुरकान (गोड्डा)

अग्रवाल, डा. धीरेन्द्र (चतरा)

अजगल्ले, श्री गुहाराम (सारंगढ)

अजनाला, डा. रतन सिंह (तरनतारन)

अजय कुमार, श्री एस. (ओट्टापलम)

अटवाल, श्री चरणजीत सिंह (फिल्लौर)

अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा (बुलढाना)

अतिथन, श्री धनुषकोडी आर. (तिरूनेलवेली)

अनंत कुमार, श्री (बंगलौर दक्षिण)

अनसारी, श्री अफज़ाल (गाजीपुर)

अप्पादुरई, श्री एम. (तेनकासी)

अबदुल्लाकुट्टी, श्री (कन्नानौर)

अब्दुल्ला, श्री उमर (श्रीनगर)

अम्बरीश, श्री एम. एच. (मांडया)

अय्यर, श्री मणिशंकर (मयिलादुतुरई)

अर्गल, श्री अशोक (मुरैना)

अहमद, डा. शकील (मधुबनी)

अहमद, श्री अतीक (फूलपुर)

अहमद, श्री ई. (पोन्नानी)

अहीर, श्री हंसराज जी. (चन्द्रपुर)

आचार्य, श्री प्रसन्न (सम्बलपुर)

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

आजमी, श्री इलियास (शाहाबाद)

आठवले, श्री रामदास (पंढरपुर)

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधीनगर)

आडीकेसावुलु, श्री डी. के. (चित्तूर)

आदित्यनाथ, योगी (गोरखपुर)

आरुन रशीद, श्री जे. एम. (पेरियाकुलम)

इंग्ती, श्री बिरेन सिंह (स्वशासी जिला – असम)

इलेंगोवन, श्री ई.वी.के.एस. (गोविचेट्टिपालयम)

उरांव, डा. रामेश्वर (लोहरदगा)

ओराम, श्री जुएल (सुन्दरगढ़)

ओला, श्री शीश राम (झुंझुनू)

आवेसी, श्री असादूद्दीन (हैदराबाद)

ओसमानी, श्री ए.एफ.जी. (बारपेटा)

कटारा, श्री बाबूभाई के. (दोहद)

कथीरिया, डा. वल्लभभाई (राजकोट)

कनोडीया, श्री महेश (पाटन)

कमलनाथ, श्री (छिंदवाड़ा)

करूणाकरन, श्री पी. (कासरगोड)

कलमाडी, श्री सुरेश (पुणे)

कश्यप, श्री बलीराम (बस्तार)

कस्वां, श्री राम सिंह (चुरू)

कादर मोहिदीन, प्रो. के. एम. (वेल्लौर)

कामत, श्री गुरूदास (मुम्बई, उत्तर–पूर्व)

किन्डिया, श्री पी. आर. (शिलांग)

कुन्नुर, श्री मंजुनाथ (धारवाड़ दक्षिण)

कुप्पुसामी, श्री सी. (मद्रास उत्तर)

कुमार, श्रीमती मीरा (सासाराम)

कुमारी सैलजा (अम्बाला)

कुरूप, श्री सुरेश (कोट्टायम)

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह (मण्डला)

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण (खजुराहो)

कृपलानी, श्री श्रीचन्द (चित्तौड़गढ़)

कृष्ण, श्री विजय (बाढ़)

कृष्णदास, श्री एन. एन. (पालघाट)

कृष्णन, डा. सी. (पोल्लाची)

कृष्णास्वामी, श्री ए. (श्रीपेरूम्बुदूर)

केरकेटा, श्रीमती सुशीला (खूँटी)

कोन्यक, श्री डब्ल्यू. वांग्यू (नागालैण्ड)

कोया, डा. पी. पी. (लक्षद्वीप)

कोरी, श्री राधेश्याम (घाटमपुर)

कोली, श्री रामस्वरूप (बयाना)

कौर, श्रीमती परनीत (पटियाला)

कौशल, श्री रघुवीर सिंह (कोटा)

खंडूडी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र (गढ़वाल)

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार (बैतूल)

खन्ना, श्री अविनाश राय (होशियारपुर)

खन्ना, श्री विनोद (गुरदासपुर)

खां, श्री सुनील (दुर्गापुर)

खारवेनथन, श्री एस. के. (पलानी)

खैरे, श्री चंद्रकांत (औरंगाबाद, महाराष्ट्र)

गंगवार, श्री संतोष (बरेली)

गढ़वी, श्री पी. एस. (कच्छ)

गणेशन, श्री एल. (तिरुचिरापल्ली)

गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर (अहमदनगर)

गद्दीगउडर, श्री पी. सी. (बागलकोट)

गमांग, श्री गिरिधर (कोरापुट)

गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव (वाशिम)

गांधी, श्री राहुल (अमेठी)

गांधी, श्रीमती मेनका (पीलीभीत)

गांधी, श्रीमती सोनिया (रायबरेली)

गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव (मुम्बई, उत्तर–मध्य)

गाव, श्री तापिर (अरुणाचल पूर्व)

गावित, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दुरबार)

गिल, श्री आत्मा सिंह (सिरसा)

गीते, श्री अनंत गंगाराम (रत्नागिरि)

गुढ़े, श्री अनंत (अमरावती)

गुप्त, श्री श्यामा चरण (बांदा)

गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर (भटिंडा)

गेहलोत, श्री थावरचन्द (शाजापुर)

गोगोई, श्री दीप (कलियाबोर)

गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश (हापुड़)

गोविन्दा, श्री (मुम्बई उत्तर)

गोहेन, श्री राजेन (नौगांव)

गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द (मंगलोर)

चक्रवर्ती, डा. सुजान (जादवपुर)

चक्रवर्ती, श्री अजय (बसीरहाट)

चक्रवर्ती, श्री स्वदेश (हावड़ा)

चटर्जी, श्री सांताश्री (सेरमपुर)

चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)

चन्द कुमार, प्रो. (कांगड़ा)

चन्द्रप्पन, श्री सी. के. (त्रित्तूर)

चन्द्रशेखर, श्री (बलिया, उ.प्र.)

चर्चिल, श्री अलीमाऊ (मारमुगाओ)

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र (मालेगांव)

चारेनामै, श्री मणि (बाहरी मणिपुर)

चालिहा, श्री किरिप (गुवाहाटी)

चावड़ा, श्री हरिसिंह (बनासकांठा)

चित्तन, श्री एन. एस. वी. (डिंडीगुल)

चिदम्बरम, श्री पी. (शिवगंगा)

चिन्ता मोहन, डा. (तिरूपति)

चौधरी, डा. तुषार अमर सिंह (मांडवी)

चौधरी, श्री अधीर (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल)

चौधरी, श्री अबु हशीम खां (मालदा)

चौधरी, श्री निखिल कुमार (कटिहार)

चौधरी, श्री पंकज (महाराजगंज, उ.प्र.)

चौधरी, श्री बंसगोपाल (आसनसोल)

चौधरी, श्रीमती अनुराधा (कैराना)

चौधरी, श्रीमती रेनुका (खम्माम)

चौबे, श्री लाल मुनी (बक्सर)

चौरे, श्री बापू हरी (धुले)

चौहान, श्री नंद कुमार सिंह (खंडवा)

जगदीशन, श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी (तिरूचेन्गोड़े)

जगन्नाथ, डा. एम. (नगर कुरनूल)

जटिया, डा. सत्यनारायण (उज्जैन)

जय प्रकाश, श्री (मोहनलाल गंज)

जय प्रकाश, श्री (हिसार)

जयप्रदा, श्रीमती (रामपुर)

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश (कानपुर)

जार्ज, श्री के. फ्रांसिस (इदुक्की)

जालप्पा, श्री आर.एल. (चिकबलपुर)

जावमा, श्री वनलाल (मिजोरम)

जिन्दल, श्री नवीन (कुरूक्षेत्र)

जीगजीणगी, श्री रमेश चंदप्पा (चिक्कोडी)

जेना, श्री मोहन (जाजपुर)

जैन, श्री पुष्प (पाली)

जोगी, श्री अजीत (महासमुन्द)

जोगैया, श्री हरि राम (नरसापुर)

जोशी, श्री कैलाश (भोपाल)

जोशी, श्री प्रहलाद (धारवाड़ उत्तर)

झा, श्री रघुनाथ (बेतिया)

टाइटलर, श्री जगदीश (दिल्ली सदर)

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी. (वडोदरा)

ठुम्मर, श्री वी. के. (अमरेली)

डांगावास, श्री भंवर सिंह (नागौर)

डेलकर, श्री मोहन एस. (दादरा और नागर हवेली)

डोम, डा. रामचन्द्र (बीरभूम)

ढिल्लो, श्री शरनजीत सिंह (लुधियाना)

ढींडसा, श्री सुखदेव सिंह (संगरूर)

तंगबालु, श्री के.वी. (सेलम)

तस्लीमुद्दीन, श्री (किशनगंज)

तीरथ, श्रीमती कृष्णा (करोलबाग)

तोपदार, श्री तरित बरण (बैरकपुर)

त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि (रीवा)

त्रिपाठी, श्री बृज किशोर (पुरी)

थामस, श्री पी. सी. (मुवत्तुपुजा)

थुपस्तन, श्री छेवांग (लद्दाख)

दत्त, श्रीमती प्रिया (मुम्बई उत्तर–पश्चिम)

दरबार, श्री छत्तर सिंह (धार)

दास, डा. अलकेश (नवद्वीप)

दास, श्री खगेन (त्रिपुरा पश्चिम)

दासगुप्त, श्री गुरूदास (पंसकुरा)

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन (रायगंज)

दिलेर, श्री किशन लाल (हाथरस)

दीक्षित, श्री सन्दीप (पूर्वी दिल्ली)

दूबे, श्री चन्द्र शेखर (धनबाद)

देव, श्री बिक्रम केशरी (कालाहांडी)

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र एस. (पार्वतीपुरम)

देव, श्री संतोष मोहन (सिल्चर)

देवरा, श्री मिलिन्द (मुंबई–दक्षिण)

देवेगौड़ा, श्री एच. डी. (हसन)

देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र (शोलापुर)

धनराजू, डा. के. (टिंडिवनाम)

धर्मेन्द्र, श्री (बीकानेर)

धारावत, श्री रविन्दर नाइक (वारंगल)

धोत्रे, श्री संजय (अकोला)

नन्दी, श्री अमिताभ (दमदम)

नम्बाडन, श्री लोनाप्पन (मुकुन्दपुरम)

नरबुला, श्री डी. (दार्जिलिंग)

नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश (उस्मानाबाद)

नरेन्द्र, श्री ए. (मेडक)

नाईक, श्री श्रीपाद येसो (पणजी)

नागपाल, श्री हरीश (अमरोहा)

नायक, श्री अनन्त (क्योंझर)

नायक, श्री ए. वेंकटेश (रायचूर)

नायक, श्रीमती अर्चना (केन्द्रपाड़ा)

नायडु, श्री कोंडापल्ली पैडीथल्ली (बौब्बिली)

निखिल कुमार, श्री (औरंगाबाद, बिहार)

निजामुद्दीन, श्री गुंडलूर (हिन्दुपुर)

निषाद, श्री महेन्द्र प्रसाद (फतेहपुर)

निहाल चन्द, श्री (श्रीगंगानगर)

पंडा, श्री ब्रह्मानन्द (जगतसिंहपुर)

पटेल, श्री किसनभाई वी. (बलसाड़)

पटेल, श्री जीवाभाई ए. (मेहसाना)

पटेल, श्री दाह्‌यभाई वल्लभभाई (दमन और दीव)

पटेल, श्री दिन्शा (कैरा)

पटेल, श्री सोमाभाई जी. (सुरेन्द्र नगर)

पटेल, श्री हरिलाल माधवजी भाई (पोरबंदर)

पटैरिया, श्रीमती नीता (सिवनी)

पानाबाका, श्रीमती लक्ष्मी (नेल्लौर)

परस्ते, श्री दलपत सिंह (शहडोल)

परांजपे, श्री प्रकाश (ठाणे)

पल्लानी शामी, श्री के. सी. (करूर)

पलानीमनिक्कम, श्री एस. एस. (तंजावूर)

पवार, श्री शरद (बारामती)

पटले, श्री शिशुपाल (भन्डारा)

पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार (भुवनेश्वर)

पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौड़ा आर. (बीजापुर)

पाटिल, श्री डी. बी. (नांदेड़)

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड़ (बीड)

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब (जालना)

पाटील, श्री प्रतीक पी. (सांगली)

पाटील, श्री बालासाहिब विखे (कोपरगांव)

पाटील, श्री लक्ष्मणराव (सतारा)

पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब (कराड़)

पाटील, श्रीमती रूपाताई डी. (लातूर)

पाटील, श्रीमती सूर्यकांता (हिंगोली)

पाठक, श्री ब्रजेश (उन्नाव)

पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद)

पाण्डा, श्री प्रबोध (मिदनापुर)

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण (मंदसौर)

पायलट, श्री सचिन (दौसा)

पॉल, डा. सिबैस्टियन (एर्णाकुलम)

पाल, श्री रूपचंद (हुगली)

पासवान, श्री रामचन्द्र (रोसड़ा)

पासवान, श्री राम विलास (हाजीपुर)

पासवान, श्री वीरचन्द्र (नवादा)

पासवान, श्री सुकदेव (अररिया)

पिंगले, श्री देविदास (नासिक)

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी. (बापतला)

पोटाई, श्री सोहन (कांकेर)

पोन्नुस्वामी, श्री ई. (चिदंबरम)

प्रधान, श्री अशोक (खुर्जा)

प्रधान, श्री धर्मेन्द्र (देवगढ़)

प्रधान, श्री प्रशान्त (कोंटाई)

प्रभु, श्री आर. (नीलगिरि)

प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर (राजापुर)

प्रसाद, कुंवर जितिन (शाहजहांपुर)

प्रसाद, श्री रामस्वरूप (नालन्दा)

प्रसाद, श्री लालमणि (बस्ती)

प्रसाद, श्री हरिकेवल (सलेमपुर)

फर्नान्डीज, श्री जार्ज (मुजफ्फरपुर)

फातमी, श्री मोहम्मद अली अशरफ (दरभंगा)

फैन्थम, श्री फ्रान्सिस (नामनिर्दिष्ट)

बंगरप्पा, श्री एस. (शिमोगा)

बंसल, श्री पवन कुमार (चण्डीगढ़)

बखला, श्री जोवाकिम (अलीपुरद्वार)

बघेल, प्रो. एस. पी. सिंह (जलेसर)

'बचदा' श्री बची सिंह रावत (अल्मोड़ा)

बब्बर श्री राज (आगरा)

बर्क, डा. शफीकुर्रहमान (मुरादाबाद)

बर्मन, प्रो. बसुदेव (मथुरापुर)

बर्मन, श्री रनेन (बलूरघाट)

बर्मन, श्री हितेन (कूच बिहार)

बसु, श्री अनिल (आरामबाग)

बाउरी, श्रीमती सुस्मिता (विष्णुपुर)

बादल, श्री सुखबीर ि ह (फरीदकोट)

"बाबा", श्री के.सी. सिंः (नैनीताल)

बारकू, श्री शिंगाड़ा दामोदर (दहानु)

बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई (जूनागढ़)

बालू, श्री टी. आर. (मद्रास दक्षिण)

बिश्नोई, श्री कुलदीप (भिवानी)

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह (जोधपुर)

बिसेन, श्री गौरीशंकर चतुर्भुज (बालाघाट)

बुधौलिया, श्री राजनरायन (हमीरपुर, उ.प्र.)

बेल्लारमिन, श्री ए. वी. (नागरकोइल)

बैठा, श्री कैलाश (बगहा)

बैनर्जी, कुमारी ममता (कलकत्ता दक्षिण)

बैस, श्री रमेश (रायपुर)

बैसीमुथियारी, श्री सा'ुमा खुंगुर (कोकराझार)

बोच्चा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी (बोबिली)

बोस, श्री सुब्रत (बारासाट)

भक्त, श्री मनोरंजन (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)

भगोरा, श्री महावीर (सलूम्बर)

भड़ाना, श्री अवतार सिंह (फरीदाबाद)

भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)

भूरिया, श्री कांति लाल (झाबुआ)

मंडल, श्री अबु अमीश (कटवा)

मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)

मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा (कोल्हापुर)

मनोज, डा. के. एस. (अलेप्पी)

मरन्डी, श्री सुदाम (मयूरभंज)

मरांडी, श्री बाबू लाल (कोडरमा)

मल्लिकार्जुनैया, श्री एस. (तुमकुर)

मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार (दक्षिण दिल्ली)

मसूद, श्री रशीद (सहारनपुर)

महताब, श्री भर्तृहरि (कटक)

महतो, श्री टेक लाल (गिरिडीह)

महतो, श्री नरहरि (पुरुलिया)

महतो, श्री सुनिल कुमार (जमशेदपुर)

महरिया, श्री सुभाष (सीकर)

महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)

महावीर प्रसाद, श्री (बांसगांव)

मांझी, श्री राजेश कुमार (गया)

माकन, श्री अजय (नई दिल्ली)

माझी, श्री परसुराम (नवरंगपुर)

माझी, श्री शंखलाल (अकबरपुर)

माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई (जामनगर)

माधवराज, श्रीमती मनोरमा (उडुपी)

मान, श्री जोरा सिंह (फिरोजपुर)

माने, श्रीमती निवेदिता (इचलकरांजी)

मारन, श्री दयानिधि (मद्रास मध्य)

माहेश्वरी, श्रीमती किरण (उदयपुर)

मिडियम, डा. बाबू राव (भद्राचलम)

मिस्त्री, श्री मधुसूदन (साबरकांठा)

मिश्रा, डा. राजेश (वाराणसी)

मीना, श्री नमोनारायन (सवाई माधोपुर)

मुन्शी राम, श्री (बिजनौर)

मुकीम, मो. (डुमरियागंज)

मुखर्जी, श्री प्रणब (जंगीपुर)

मुत्तेमवार, श्री विलास (नागपुर)

मुनियप्पा, श्री के. एच. (कोलार)

मुफ्ती, सुश्री महबूबा (अनंतनाग)

मुर्मू, श्री रूपचन्द (झाड़ग्राम)

मुर्मू, श्री हेमलाल (राजमहल)

मूर्ति, श्री ए.के. (चेंगलपट्टू)

मेघवाल, श्री कैलाश (टोंक)

मेहता, श्री आलोक कुमार (समस्तीपुर)

मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद (हजारीबाग)

मैन्या, डा. टोकचोम (आंतरिक मणिपुर)

मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड (नामनिर्दिष्ट)

मोघे, श्री कृष्णा मुरारी (खरगौन)

मो. ताहिर, श्री (सुल्तानपुर)

मोल्लाह, श्री हन्नान (उलूबेरिया)

मोहन, श्री पी. (मदुरै)

मोहले, श्री पुन्नूलाल (बिलासपुर)

यादव, कुंवर देवेन्द्र सिंह (एटा)

यादव, डा. करण सिंह (अलवर)

यादव, प्रो. राम गोपाल (संभल)

यादव, श्री अखिलेश (कन्नौज)

यादव, श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु (गोपालगंज)

यादव, श्री उमाकान्त (मछलीशहर)

यादव, श्री एम. अंजनकुमार (सिकन्दराबाद)

यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह (चन्दौली)

यादव, श्री गिरिधारी (बांका)

यादव, श्री चन्द्रपाल सिंह (झांसी)

यादव, श्री जय प्रकाश नारायण (मुंगेर)

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)

यादव, श्री धर्मेन्द्र (मैनपुरी)

यादव, श्री पारसनाथ (जौनपुर)

यादव, श्री बालेश्वर (पडरौना)

यादव, श्री भाल चन्द्र (खलीलाबाद)

यादव, श्री मित्रसेन (फैजाबाद)

यादव, श्री रमाकान्त (आजमगढ़)

यादव, श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू (मधेपुरा)

यादव, श्री राम कृपाल (पटना)

यादव, श्री सीता राम (सीतामढ़ी)

यास्खी, श्री मधु गौड (निजामाबाद)

येरननायडु, श्री किन्जरपु (श्रीकाकुलम)

रंजन, श्रीमती रंजीत (सहरसा)

रघुपति, श्री एस. (पुडुकोट्टई)

रठवा, श्री नारनभाई (छोटा उदयपुर)

रवीन्द्रन, श्री पन्नियन (तिरुवनन्तपुरम)

राई, श्री नकुल दास (सिक्किम)

राजगोपाल, श्री एल. (विजयवाड़ा)

राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद (घोसी)

राजा, श्री ए. (पेरम्बलूर)

राजू, श्री एम. एम. पल्लम (काकीनाडा)

राजेन्तीरन, श्रीमती एम.एस.के. भवानी (रामनाथपुरम)

राजेन्द्र कुमार, श्री (हरिद्वार)

राजेन्द्रन, श्री पी. (क्विलोन)

राठौड़, श्री हरिभाऊ (यवतमाल)

राणा, श्री काशीराम (सूरत)

राणा, श्री गुरजीत सिंह (जालंधर)

राणा, श्री रबिन्दर कुमार (खगड़िया)

राणा, श्री राजू (भावनगर)

राधाकृष्णन, श्री वरकला (चिरायिंकिल)

रानी, श्रीमती के. (रासीपुरम)

रामकृष्णा, श्री बाडिगा (मछलीपत्तनम)

रामचन्द्रन, श्री जिन्जी एन. (वन्डावासी)

रामदास, प्रो. एम. (पांडिचेरी)

राव, श्री के. एस. (एलूरू)

राव, श्री के. चन्द्रशेखर (करीमनगर)

राव, श्री डी. विट्टल (महबूब नगर)

राव, श्री पी. चलपति (अनकापल्ली)

राव, श्री रायापति सांबासिवा (गुंटूर)

रावत, प्रो. रासा सिंह (अजमेर)

रावत, श्री अशोक कुमार (मिसरिख)

रावत, श्री कमला प्रसाद (बाराबंकी)

रावत, श्री ानसिंह (बांसवाड़ा)

रावले, श्री मोहन (मुम्बई दक्षिण–मध्य)

रिजीजू, श्री कीरेन (अरुणाचल पश्चिम)

रियान, श्री बाजू बन (त्रिपुरा पूर्व)

रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव (परभनी)

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी (अनन्तपुर)

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन (विशाखापत्तनम)

रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन (नरसारावपेट)

रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु (ओंगोले)

रेड्डी, श्री एस. जयपाल (मिरयालगुडा)

रेड्डी, श्री एस. पी. वाई. (नांदयाल)

रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी. (कुरनूल)

रेड्डी, श्री जी. करुणाकर (बेल्लारी)

रेड्डी, श्री मधुसूदन (आदिलाबाद)

रेड्डी, श्री वाई. एस. विवेकानन्द (कुडप्पा)

रेड्डी, श्री सुखराम सुधाकर (नालगौंडा)

लक्ष्मण, श्रीमती सुशीला बंगारु (जालौर)

'ललन' श्री राजीव रंजन सिंह (बेगूसराय)

लालू प्रसाद, श्री (छपरा)

लाहिरी, श्री समिक (डायमंड हार्बर)

लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह (रोपड़)

वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र (मंगलदोई)

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद (कैसरगंज)

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह (जालौन)

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास (धन्धुका)

वर्मा, श्री रवि प्रकाश (खीरी)

वर्मा, श्री राजेश (सीतापुर)

वर्मा, श्रीमती ऊषा (हरदोई)

वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी (तेनाली)

वसावा, श्री मनसुखभाई डी. (भरूच)

वाघमारे, श्री सुरेश (वर्धा)

वाघेला, श्री शंकर सिंह (कपड़वंज)

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (लखनऊ)

विजयन, श्री ए.के.एस. (नागापट्टिनम)

विजयशंकर, श्री सी. एच. (मैसूर)

विनोद कुमार, श्री बी. (हनमकोंडा)

विरूपाक्षप्पा, श्री के. (कोप्पल)

वीरेन्द्र कुमार, श्री (सागर)

वीरेन्द्र कुमार, श्री एम. पी. (कालीकट)

वुन्डावल्ली, श्री अरूण कुमार (राजामुंदरी)

वेंकटपति, श्री के. (कुड्डालोर)

वेंकटस्वामी, श्री जी. (पेद्दापल्ली)

वेणुगोपाल, श्री डी. (तिरूपत्तूर)

वेलु, श्री आर. (अर्कोनम)

शर्मा, डा. अरविन्द (करनाल)

शर्मा, डा. अरूण कुमार (लखीमपुर)

शर्मा, श्री मदन लाल (जम्मू)

शहाबुद्दीन, डा. मोहम्मद (सीवान)

शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम (शिमला)

शाक्य, श्री रघुराज सिंह (इटावा)

शाहिद, मोहम्मद (मेरठ)

शाहीन, श्री अब्दुल रशीद (बारामूला)

शिवनकर, प्रो. महादेवराव (चिमूर)

शिवन्ना, श्री एम. (चामराजनगर)

शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील (खेड़)

शीरमेश, श्रीमती तेजस्विनी (कनकपुरा)

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन (करीमगंज)

शुक्ला, श्रीमती करूणा (जांजगीर)

शेरवानी, श्री सलीम (बदायूं)

शैलेन्द्र कुमार, श्री (चायल)

श्रीकांतप्पा, श्री डी.सी. (चिकमगलूर)

संगमा, श्री पी. ए. (तुरा)

संगलिअना, डा. एच. टी. (बंगलौर उत्तर)

सईदा, श्रीमती रूबाब (बहराइच)

सज्जन कुमार, श्री (बाहरी दिल्ली)

सतीदेवी, श्रीमती पी. (बडागरा)

सर, श्री निखिलानन्द (बर्दवान)

सरडगी, श्री इकबाल अहमद (गुलबर्गा)

सरोज, श्री तूफानी (सैदपुर)

सरोज, श्री दरोगा प्रसाद (लालगंज)

सत्पथी, श्री तथागत (ढेंकानाल)

सत्यनारायण, श्री सर्वे (सिद्दीपेट)

सलीम, मोहम्मद (कलकत्ता, उत्तर–पूर्व)

सहाय, श्री सुबोध कांत (रांची)

सांगवान, श्री किशन सिंह (सोनीपत)

साई प्रताप, श्री ए. (राजमपेट)

साय, श्री नन्द कुमार (सरगुजा)

साय, श्री विष्णु देव (रायगढ़)

साहु, श्री चंद्रशेखर (बरहामपुर, उड़ीसा)

साहू, श्री ताराचंद (दुर्ग)

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव (गुना)

सिंह, कुंवर मानवेन्द्र (मथुरा)

सिंह, कुंवर सर्व राज (आंवला)

सिंह, चौधरी लाल (उधमपुर)

सिंह, चौधरी विजेन्द्र (अलीगढ़)

सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद (वैशाली)

सिंह, डा. राम लखन (भिण्ड)

सिंह, राव इन्द्रजीत (महेन्द्रगढ़)

सिंह, श्री अक्षय प्रताप (प्रतापगढ़)

सिंह, डा. अखिलेश प्रसाद (मोतिहारी)

सिंह, श्री अजित (बागपत)

सिंह, श्री अजीत कुमार (बिक्रमगंज)

सिंह, श्री उदय (पूर्णिया)

सिंह, श्री कल्याण (बुलन्दशहर)

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन (गोंडा)

सिंह, श्री गणेश (सतना)

सिंह, श्री गणेश प्रसाद (जहानाबाद)

सिंह, श्री चन्द्रभान (दमोह) .

सिंह, श्री चन्द्रभूषण (फरुखाबाद)

सिंह, श्री दुष्यंत (झालावाड़)

सिंह, श्री प्रभुनाथ (महाराजगंज, बिहार)

सिंह, श्री बृजभूषण शरण (बलरामपुर)

सिंह, श्री मानवेन्द्र (बाड़मेर)

सिंह, श्री मोहन (देवरिया)

सिंह, श्री राकेश (जबलपुर)

सिंह, श्री रामपाल (विदिशा)

सिंह, श्री रेवती रमन (इलाहाबाद)

सिंह, श्री लक्ष्मण (राजगढ़)

सिंह, श्री विजयेन्द्र पाल (भीलवाड़ा)

सिंह, श्री विश्वेन्द्र (भरतपुर)

सिंह, श्री सरताज (होशंगाबाद)

सिंह, श्री सीताराम (शिवहर)

सिंह, श्री सुग्रीव (फूलबनी)

सिंह, श्री सूरज (बलिया, बिहार)

सिंह, श्रीमती कान्ति (आरा)

सिंह, श्रीमती प्रतिभा (मंडी)

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी (बोलनगीर)

सिकदर, श्रीमती ज्योतिर्मयी (कृष्नगर)

सिद्दीश्वर, श्री जी. एम. (दावणगेरे)

सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन (शिवकाशी)

सिब्बल, श्री कपिल (चांदनी चौक)

सील, श्री सुधांशु (कलकत्ता, उत्तर–पश्चिम)

सुगावनम, श्री ई. जी. (कृष्णागिरि)

सुजाता, श्रीमती सी. एस. (मवेलकारा)

सुब्बा, श्री मणी कुमार (तेजपुर)

सुब्बारायण, श्री के. (कोयम्बटूर)

सुमन, श्री रामजीलाल (फिरोजाबाद)

सुम्बरुई, श्री बागुन (सिंहभूम)

सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा (अडूर)

सूर्यवंशी, श्री नरसिंगराव एच. (बीदर)

सेठ, श्री लक्ष्मण (तामलुक)

सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)

सेनथिल, डा. आर. (धर्मपुरी)

सेन, श्रीमती मिनाती (जलपाईगुड़ी)

सेलवी, श्रीमती वी. राधिका (तिरूचेन्दूर)

सोनोवाल, श्री सर्वानन्द (डिब्रूगढ़)

सोरेन, श्री शिबु (दुमका)

सोलंकी, श्री भरतसिंह माधवसिंह (आनन्द)

सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह (गोधरा)

स्वाईं, श्री खारबेल (बारासोर)

स्वाईं, श्री हरिहर (आस्का)

हनुमनथप्पा, श्री एन. वाई. (चित्रदुर्ग)

हमज़ा, श्री टी. के. (मंजेरी)

हर्ष कुमार, श्री जी. वी. (अमलापुरम)

हसन, चौ. मुनव्वर (मुजफ्फरनगर)

हान्डिक, श्री विजय (जोरहाट)

हुड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह (रोहतक)

हुसैन, श्री अनवर (धूबरी)

हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान (मुर्शिदाबाद)

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज (भागलपुर)

हेगड़े, श्री अनंत कुमार (कनारा)

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

मंत्रिपरिषद्

मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री

डा. मनमोहन सिंह	प्रधानमंत्री तथा उन मंत्रालयों/विभागों के भी प्रभारी जो विशेष रूप से किसी अन्य मंत्री को आबंटित नहीं किये गये हैं, जैसे 1. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय; 2. योजना मंत्रालय; 3. परमाणु ऊर्जा विभाग; 4. अंतरिक्ष विभाग; और 5. कोयला मंत्रालय
श्री प्रणब मुखर्जी	विदेश मंत्री
श्री अर्जुन सिंह	मानव संसाधन विकास मंत्री
श्री शरद पवार	कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री
श्री लालू प्रसाद	रेल मंत्री
श्री ए. के. एंटनी	रक्षा मंत्री
श्री शिवराज वि. पाटील	गृह मंत्री
श्री ए. आर. अंतुले	अल्पसंख्यक मामले मंत्री
श्री सुशील कुमार शिंदे	विद्युत मंत्री
श्री राम विलास पासवान	रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री
श्री एस. जयपाल रेड्डी	शहरी विकास मंत्री
श्री शीश राम ओला	खान मंत्री
श्री पी. चिदम्बरम	वित्त मंत्री
श्री महावीर प्रसाद	लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री
श्री पी. आर. किन्डिया	जनजातीय कार्य मंत्री
श्री टी. आर. बालू	पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
श्री शंकर सिंह वाघेला	वस्त्र मंत्री
श्री वायालार रवि	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री
श्री कमल नाथ	वाणिज्य और उद्योग मंत्री
श्री हंस राज भारद्वाज	विधि और न्याय मंत्री
श्री संतोष मोहन देव	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
प्रो. सैफुद्दीन सोज़	जल संसाधन मंत्री
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	ग्रामीण विकास मंत्री

श्री प्रियरंजन दासमुंशी	संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री
श्री मणि शंकर अय्यर	पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री
श्रीमती मीरा कुमार	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
श्री मुरली देवरा	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
श्रीमती अम्बिका सोनी	पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री
श्री ए. राजा	पर्यावरण और वन मंत्री
श्री दयानिधि मारन	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
अंबुमणि रामदास	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
श्री कपिल सिब्बल	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री
श्री प्रेमचंद गुप्ता	कंपनी कार्य मंत्री

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री ऑस्कर फर्नांडीस	श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्रीमती रेनुका चौधरी	महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री
श्री सुबोध कांत सहाय	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री विलास मुत्तेमवार	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री
कुमारी सैलजा	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री
श्री प्रफुल पटेल	नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री जी. के. वासन	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री

राज्य मंत्री

श्री ई. अहमद	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सुरेश पचौरी	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री विजय हान्डिक	रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. दासरि नारायण राव	कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. शकील अहमद	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री
राव इन्द्रजीत सिंह	रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री नारनभाई रठवा	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री के. एच. मुनियप्पा	पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री एम. वी. राजशेखरन	योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री कांतिलाल भूरिया	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री माणिकराव होडल्या गावित	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री पृथ्वीराज चव्हाण	प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
श्री तस्लीमुद्दीन	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री आर. वेलु	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एस. एस. पलॉनीमनिक्कम	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एस. रघुपति	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री के. वेंकटपति	विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन	वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती कान्ति सिंह	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री
श्री नमोनारायन मीना	पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री जय प्रकाश नारायण यादव	जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. अखिलेश प्रसाद सिंह	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री पवन कुमार बंसल	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री आनन्द शर्मा	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अजय माकन	शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री दिनशा पटेल	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एम. एम. पल्लम राजू	रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी	खान मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. अखिलेश दास	इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अश्विनी कुमार	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री
श्री जयराम रमेश	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री
श्री चंद्रशेखर साहू	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एम. एच. अम्बरीश	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री

लोक सभा

शुक्रवार, 23 फरवरी, 2007/4 फाल्गुन, 1928 (शक)

लोक सभा अपराह्न 12.35 बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

अपराह्न 12.37 बजे

राष्ट्रपति का अभिभाषण*

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं 23 फरवरी, 2007 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण** की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं।

माननीय सदस्यगण,

हमारे देश के लिए यह अत्यंत उल्लेखनीय वर्ष है। हम अपनी स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस वर्ष, हम भारत की आजादी की पहली लड़ाई की 150वीं सालगिरह और सत्याग्रह की शताब्दी भी मना रहे हैं। एक सशक्त, आधुनिक, सर्वसमावेशी, पंथनिरपेक्ष और गतिशील भारत बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने के ये अवसर हैं।

पहले, मैं समझौता एक्सप्रेस पर कायरतापूर्ण और संवेदनाहीन हमले के शिकार निर्दोष व्यक्तियों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। हम इन मासूमों के परिवारों की पीड़ा से आहत हैं। हमें भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने के हमारे प्रयास पर इस त्रासदीपूर्ण घटना का प्रभाव पड़ने नहीं देना चाहिए।

हम आज तक अपने आर्थिक क्रियाकलापों और भविष्य के संबंध में अत्यधिक आशावादिता के माहौल में एकत्र हुए हैं। पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय आय में 8 प्रतिशत से अधिक की औसत वार्षिक वृद्धि हुई है। सभी आकलनों के अनुसार, हम वर्तमान वर्ष में लगभग 9 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त करेंगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरूआत के लिए यह शुभ संकेत है। मेरी सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान रुझानों और सामान्य नीति निर्देश के परिप्रेक्ष्य में, यह एक व्यवहारिक प्रस्ताव हैं तथापि, आर्थिक विकास ही अपने आप में अंतिम उद्देश्य नहीं है। यह एक माध्यम है जिसके जरिए हम अधिक रोजगार पैदा करने, आय को सामाजिक समूहों और क्षेत्रों में अधिक समानता से बांटने तथा सर्वाधिक निर्धनों को गरीबी, अज्ञानता और रोग के दुखों से निजात दिलाने की आशा करते हैं।

मेरी सरकार यह मानती है कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण सर्वसमावेशी विकास की किसी भी कार्यनीति का अहम घटक है। वर्ष 2006 के पूर्वार्द्ध में तेल की वैश्विक कीमतों में हुई तीव्र वृद्धि तथा वस्तुओं की वैश्विक कीमतों में आए उछाल के प्रतिकूल प्रभाव से हमारे लोगों को बचाने के लिए मेरी सरकार ने कई कदम उठाए। तथापि, हाल ही के महीनों में, मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि हुई है। जब विकास तथा निवेश में तीव्र वृद्धि हो रही हो और आमदनी बढ़ रही हो तो सभी उत्पादों, विशेषकर दैनिक उपभोग के उत्पादों की मांग बढ़ना स्वाभाविक ही है। इस बढ़ी मांग को आपूर्ति बढ़ाकर पूरा किया जाना है जिसमें कुछ समय लगता है। पिछले आठ सप्ताहों के दौरान, मेरी सरकार ने मुद्रास्फीति को संतुलित करने के लिए अनेक राजकोषीय तथा आर्थिक कदम उठाए हैं। इसके अलावा, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। मेरी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाती रहेगी कि गरीबों पर मुद्रास्फीति का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यह हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता है।

विकास की प्रक्रिया को चलाए रखने और सर्वसमावेशी विकास की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए उसे वित्तीय रूप से सशक्त बनाने हेतु यह आवश्यक है कि हमारे सार्वजनिक वित्तीय कार्यकलाप समझदारी और विवेकपूर्ण ढंग से चलाए जाएं। राजकोषीय उत्तरदायित्व कोई अकादमिक बंदिश नहीं है। यह कार्यकलापों की समझदारी भरी एक श्रृंखला है जिसका लक्ष्य हमारी विकास प्रक्रिया की निरंतरता, समता लाना और मुद्रास्फीति नियंत्रण सुनिश्चित करना है।

मेरी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 11वीं योजना का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होगा कि आर्थिक वृद्धि न केवल तीव्रतर हो अपितु और अधिक सर्वसमावेशी तथा समतापूर्ण हो। 11वीं योजना की नीति का

---

* राष्ट्रपति ने केन्द्रीय कक्ष में अंग्रेजी में अभिभाषण दिया। उपराष्ट्रपति ने अभिभाषण का हिन्दी–पाठ पढ़ा।

** ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 5788/2007

लक्ष्य होगा अर्थव्यवस्था को एक सतत् और त्वरित विकास पथ पर गतिशील करना और समूचे देश में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में रोजगार के उत्पादक अवसरों का सृजन करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में अर्थव्यवस्था के सामने आ रही नौ बड़ी चुनौतियों की पहचान की गई है। ये हैं : (1) कृषि में गतिशीलता की पुनः प्राप्ति; (2) रोजगार ढांचे में बदलाव और नई नौकरियों का सृजन; (3) निर्धनों को आवश्यक जन सुविधाएं मुहैया कराना; (4) विनिर्माण प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना; (5) मानव संसाधन का विकास; (6) विश्वस्तरीय अवसंरचना का निर्माण; (7) पर्यावरण संरक्षण; (8) पुनर्वास और पुनःस्थापन कार्यों में सुधार; (9) शासन में सुधार। इन चुनौतियों से निपटते हुए, सर्वसमावेशीय विकास की बड़ी चुनौती से भी निपट लिया जाएगा।

मेरी सरकार **सर्वसमावेशी विकास का एक नया शिल्प** तैयार कर रही है। इस शिल्प में भारत निर्माण, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सुदृढ़ीकृत और विस्तारित सर्वशिक्षा अभियान, मध्याह्न आहार और समेकित बाल विकास योजना कार्यक्रमों का सार्वजनीकरण तथा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन शामिल हैं। सरकार के इन सभी अग्रणी कार्यक्रमों में काफी प्रगति की जा चुकी है। कुछेक राज्यों को छोड़कर **भारत निर्माण** के माध्यम से शुरू की गई परियोजनाओं में, अधिकांश वार्षिक लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं। ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण टेलीफोनी, ग्रामीण आवास और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। पिछड़ रहे राज्यों, खासकर देश के कम विकसित भागों से कार्यान्वयन पर अधिक ध्यान देने का आग्रह किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के द्वारा, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रबंधन में केन्द्र और राज्य सरकारों, पंचायती राज संस्थाओं और समुदाय की भागीदारी के जरिए जनता के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने का लक्ष्य है। इस मिशन का केन्द्र बिन्दु विकेन्द्रीकृत जिला स्तरीय नियोजन द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य सूचकों में सुधार लाना है। अब तक जनसांख्यिकीय रूप से कमजोर 18 राज्यों में लगभग 3.2 लाख गाँव आधारित अधिकृत महिला सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) तैनात की जा चुकी हैं।

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन 63 शहरों में कार्यान्वित किया जा रहा है। 61 शहरों के लिए नगर विकास योजनाएं पहले ही तैयार की जा चुकी हैं जिनमें शहरी शासन और विकास के प्रति उनके दृष्टिकोण और लक्ष्यों का खाका खींचा गया है। इनमें निवेश योजनाएं भी शामिल हैं जिनका लक्ष्य नगरव्यापी शहरी अवसंरचना, शहरी निर्धनों के लिए जलापूर्ति, साफ–सफाई, जल–निकासी जैसी बुनियादी सुविधाएं और सामाजिक आवास उपलब्ध कराना भी है। अब तक मलिन बस्ती सुधार एवं विकास के लिए 102 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है। हमारे नगरों को **शहरी शासन में बड़े सुधार** तथा हमारी नगरपालिकाओं के उन्नत और लोकतांत्रिक कार्यकरण की अत्यंत आवश्यकता है। इसे बढ़ावा दिया जा रहा है और फेरी वालों को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से सभी संबंधित पक्षों के परामर्श से एक नये कानून के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

इनमें से हर कार्यक्रम अतिरिक्त रोजगार पैदा करेगा जो मेरी सरकार के ध्यान का केन्द्र बिन्दु है। **सकल घरेलू उत्पाद के 34 प्रतिशत** के रिकार्ड स्तर को छू चुकी **निवेश दर** में सतत वृद्धि और रोजगार उत्पन्न करेगी। मेरी सरकार द्वारा पारित **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम**, गरीबों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने तथा साथ ही ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण के लिए एक बड़े कार्यक्रम के रूप में उभरा है। 200 जिलों में चल रही इस स्कीम से 1.4 करोड़ से अधिक परिवारों को फायदा पहुंचा है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों में पांच लाख से अधिक कार्य चल रहे हैं, जिनमें आधे से अधिक जल संरक्षण और सूखारोध (ड्राउट प्रूफिंग) के क्षेत्र में हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के आधार को पुनर्निमित करने में सहायक हैं। इस आयाम का कोई भी सामाजिक सुरक्षा कवच विश्व में और कहीं नहीं बनाया गया है। इसलिए इसे बहुत दिलचस्पी के साथ देखा जा रहा है। मेरी सरकार इस अधिनियम के प्रभावी होने से पांच वर्ष में समूचे राष्ट्र को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाने के लिए कटिबद्ध है तथा अगले वर्ष और जिले इसके अंतर्गत लाए जाएंगे।

महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को स्वर्गीय राजीव गांधी के प्रयासों से कानूनी ढांचा मिला। मेरी सरकार **पंचायती राज को और गहन स्तर पर ले जाने के लिए वचनबद्ध है और इसलिए 250 जिलों में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एक समेकित योजना के माध्यम से** विकेंद्रीकृत जिलास्तरीय नियोजन को सुदृढ़ बनाने का काम हाथ में लिया है। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि स्थानीय मूल्यांकन के आधार पर महत्वपूर्ण विकास कार्यकलापों में अंतर को पाटने के लिए तैयार की गई है।

मेरी सरकार **शिक्षा** को सर्वाधिक महत्व देती है। युवा जनों के राष्ट्र के रूप में, भारत जनसांख्यिकीय लाभ तभी प्राप्त कर सकेगा जब हम अपने बच्चों की क्षमताओं तथा बौद्धिक व भावनात्मक विकास में निवेश करेंगे। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए आवंटित निधियों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। सुदृढ़ीकृत **सर्वशिक्षा अभियान और मध्याह्न आहार कार्यक्रम**, शिक्षा के द्वारा हमारे बच्चों के सशक्तीकरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। कस्तूरबा गांधी

बालिका विद्यालय स्कीम के तहत, गत तीन वर्षों में उच्च प्राथमिक स्तर पर 2000 से अधिक नएं आवासीय विद्यालय, मुख्यतया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

एक सर्वसमावेशी और समतापूर्ण समाज की ओर बढ़ते हमारे कदमों में महिलाओं और बच्चों के अधिकार और उनकी आकांक्षाएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए तथा महिलाओं और बच्चों संबंधी मुद्दों पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित करने के लिए एक पृथक महिला और बाल विकास मंत्रालय बनाया गया हैं यह विकास में समान भागीदार के रूप में महिलाओं को दिए जा रहे महत्व को दर्शाता है। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले तथा उन्हें घरेलू हिंसा से बचाने वाले ऐतिहासिक विधान बनाए गए हैं। बच्चों के कल्याण हेतु किया गया निवेश राष्ट्र के भविष्य के लिए किय गया निवेश है। कुपोषण उन्मूलन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसके लिए आंगनवाड़ियों का तेजी से विस्तार किया जा रहा है जिनकी संख्या शीघ्र ही एक मिलियन तक पहुंच जायेगी। साथ ही बाल सुरक्षा संबंधी मुद्दे मेरी सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर हैं।

उच्चतर शिक्षा में हमारे प्रयासों का केन्द्र बिंदु, तंत्र को पुनरुज्जीवित करना, पहुंच के दायरे को बढ़ाना और उत्कृष्टता के नए संस्थान बनाना है। मेरी सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों तक शिक्षा की पहुंच बढ़ाने को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानती है। सरकार सभी विद्यार्थियों में मेहनत और प्रतिभा को पुरस्कृत करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें ज्ञान पिरामिड के सभी स्तरों पर शिक्षा में निवेश की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। मेरी सरकार व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को पुनरुज्जीवित करने के लिए कटिबद्ध है। देश के विभिन्न हिस्सों में कई नए भारतीय विज्ञान संस्थान, शिक्षा और अनुसंधान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बनाए जाने का प्रस्ताव है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं।

मेरी सरकार गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए आगे और कदम उठा रही है। गेहूं का उत्पादन कम रहा है लेकिन कीमतों में वृद्धि पर काबू पाने के लिए गेहूं स्टाक को पूरा किया गया है। साथ ही, अधिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए, गेहूं व मोटे अनाजों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में समुचित वृद्धि की गई है समय पर लिए गए और उपयुक्त निर्णयों से गन्ना किसानों की स्थिति में सुधार हुआ है और गन्ने की बकाया धनराशि अब तक के सबसे कम स्तर पर आ गई है। शुष्क भूमि और वर्षा सिंचित कृषि के मामलों पर समन्वित एवं संकेन्द्रित ध्यान देने के लिए राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण का गठन किया गया है जो इस संबंध में नीति का मार्गदर्शन करेगा। हमारी सामुद्रिक और अन्तर्देशीय मत्स्यपालन की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए एक राष्ट्रीय मत्स्यपालन विकास बोर्ड गठित किया गया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन किसानों को और अधिक आय उपलब्ध कराने वाली फसलें उगाने में मदद कर रहा है।

माननीय सदस्यों को कृषि के लिए ऋण की उपलब्धता में भारी-वृद्धि के बारे में पहले से ही जानकारी है। कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलापों के लिए ऋण प्रवाह को दोगुना करने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। सहकारी ऋण संरचना के पुनरुद्धार के लिए 13000 करोड़ रुपए का एक पैकेज तैयार किया गया है और इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। कृषि अनुसंधान पर बल देने तथा किसानों को नई प्रौद्योगिकियां हस्तांतरित करने के लिए एक राष्ट्रीय कृषि अभिनव परियोजना स्वीकृत की गई है। नारियल, चाय और कॉफी जैसी बागानी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी प्रयास चल रहे हैं और कई नई "स्कीमें" बनाई गई हैं।

किसानों द्वारा आत्महत्याओं की अधिक घटनाओं वाले 31 जिलों के लिए 16000 करोड़ रुपए की राशि वाला एक विशेष पैकेज कार्यान्वित किया जा रहा है। इसमें अल्पावधिक व दीर्घावधिक उपाय शामिल हैं तथा ऋण, सिंचाई सुविधाओं, कृषि निवेश और आय के वैकल्पिक स्रोतों संबंधी मसलों पर ध्यान दिया जाता है। एक विशेषज्ञ दल कृषि ऋणग्रस्तता की समस्या की जांच कर रहा है और यह त्रस्त किसानों को राहत देने के उपाय सुझाएगा।

कुल मिलाकर मेरी सरकार की इन पहलों से, कृषि में निवेश की दर बढ़ेगी, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी, किसानों की आय बढ़ेगी और वे समृद्ध होंगे तथा दूसरी हरित क्रांति का सूत्रपात होगा। यह संतुष्टि की बात है कि 2005-06 में कृषि विकास की दर 6 प्रतिशत रही। तथापि इसे ऐसे विश्वसनीय उपायों के द्वारा बनाए रखने की आवश्यकता है जो निवेश की उच्च दर बरकरार रखें, नई प्रौद्योगिकियों और कृषि पद्धतियों को उपयोग में लाएं, विपणन माध्यमों में सुधार लाएं, बेहतर जोखिम प्रबंधन सुविधाएं मुहैया कराएं और हमारे किसानों को बेहतर लाभ दें। मेरी सरकार यह सब करने के लिए प्रतिबद्ध है।

औद्योगिक विकास और संबंधित उद्देश्यों के लिए कृषि भूमि का अधिग्रहण तथा मुआवजे की शर्तें हमारे देश में लोक चिन्ता का प्रमुख मुद्दा बन गया है। एक तरफ तो कृषि भूमि के अधिग्रहण के संबंध में किसानों की वास्तविक चिंताएं हैं और दूसरी तरफ उद्योग तथा संबंधित

क्रियाकलापों के मार्फत रोजगार पैदा करने के लिए भूमि का उपयोग करने की आवश्यकता है। इसलिए मानवीय पुनर्वास तथा कृषि भूमि के उचित मूल्य निर्धारण की आवश्यकता के मुद्दों पर नीति और कानून, दोनों की दृष्टि से ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरी सरकार एक **नई पुनर्वास नीति** बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए जहां कहीं आवश्यक होगा, भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन किये जायेंगे।

मेरी सरकार कृषि तथा शहरी अर्थव्यवस्था, दोनों में जल उपलब्धता व जल उपयोग की गंभीर समस्या को स्वीकार करती है। हमें जल प्रबंधन प्रणालियों, जिनमें भागीदारी सिंचाई प्रबंधन; जल का विनियमित उपयोग व संरक्षण; किसानों के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई परियोजनाओं को समय पर पूरा करना तथा विद्यमान परियोजनाओं का रखरखाव, बेहतर भूजल पुनर्भरण और वर्षाजल संचयन शामिल हैं, पर सामाजिक सर्वसम्मति बनाने की आवश्यकता है। मेरी सरकार देश की सिंचाई क्षमता तथा जल विद्युत क्षमता के विकास के लिए कटिबद्ध है।

अपने **पर्यावरण** का ध्यान रखना और अपनी विकास प्रक्रिया की पारिस्थितिकीय स्थिरता सुनिश्चित करना एक प्रमुख राष्ट्रीय और वैश्विक चुनौती है। **मौसम में बदलाव और ग्लोबल वार्मिंग** के खतरे का हमारी पृथ्वी पर जीवन तथा हमारी विकास संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सतत् विकास की चुनौती से निपटने के लिए हमें आर्थिक रूप से वहनीय, प्रौद्योगिकी की दृष्टि से व्यवहार्य और सामाजिक समानता वाली नीतियों की आवश्यकता है। "पृथ्वी प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए काफी कुछ देती है परन्तु वह उसके लालच की पूर्ति नहीं कर सकती" – महात्मा गांधी के इस विवेकपूर्ण कथन के अनुसार चलते हुए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को सतत् विकास के लिए एक ऐसा ढांचा तैयार करना चाहिए जिसमें विकासशील विश्व की विकास आकांक्षाओं का ध्यान रखा जाए। भारत पर्यावरण की दृष्टि से व्यावहारिक विकास की कार्यनीतियों को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है। घटती वन–भूमि में बड़ी मात्रा में वृक्षारोपण के लिए एक वृहद् कार्यक्रम **'हरित भारत'** पर मेरी सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

हमारे **वन्य जीव** हमारी अमूल्य धरोहर हैं। मेरी सरकार ने टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर अभ्यारण्यों के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं। एक **बाघ संरक्षण प्राधिकरण** और साथ ही एक **वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो** का गठन किया गया है। सरकार स्कूल पाठ्यक्रम के द्वारा पर्यावरण शिक्षा की गतिविधियों को सुदृढ़ करना और वन्य जीवों के प्रति सम्मान पैदा करना चाहती है।

मेरी सरकार किसान समुदाय की आय में सुधार करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार जुटाने में **खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र** के महत्व को पहचानती है। इस क्षेत्र के लिए सरकार के **विजन 2015** में अगले दशक में खाद्य क्षेत्र के आकार को तिगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। एक **राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान** की स्थापना करने का प्रस्ताव है। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि हमारा खाद्य क्षेत्र सर्वोत्तम विश्व स्तर से मेल खाता हो, मेरी सरकार ने **खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम, 2006** नामक एक एकीकृत खाद्य कानून बनाया है और शीघ्र ही एक **खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण** स्थापित किया जा रहा है। यह स्वायत्त प्राधिकरण मानक निर्धारित करेगा और स्वास्थ्यप्रद व सुरक्षित खाद्य पदार्थ तैयार करने के लिए लाइसेंस देगा।

सर्वसमावेशी विकास पर ध्यान केन्द्रित करने के फलस्वरूप हमारे समाज के कमजोर वर्गों की आवश्यकता पर भी विशेष ध्यान दिया जा सका है। मेरी सरकार सामाजिक न्याय और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण को अत्यधिक महत्व देती है। शिक्षा, क्षमताओं का सृजन करने, सशक्त बनाने का कार्य करती है। इसलिए मेरी सरकार ने **अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों में वृद्धि की** है और अन्य पिछड़े वर्गों की पहुंच उच्चतर शिक्षा तक बढ़ाई है। अनुसूचित जातियों में से सर्वाधिक वंचितों को सशक्त बनाने के लिए मेरी सरकार ने **सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना** नामक एक नई स्कीम शुरू की है। मेरी सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित खाली पदों के बैकलॉग को भरने में काफी प्रगति की है और यह शेष खाली पदों को भरने के लिए कटिबद्ध है।

संसद ने पिछले सत्र में अनुसूचित जनजातियों और वनवासियों को उस भूमि पर अधिकार देने का एक ऐतिहासिक विधान बनाया है जो सदियों से उनके कब्जे में रहीं परन्तु जिसे वनों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यह एक क्रांतिकारी विधान है जो इन वर्गों को सुरक्षा प्रदान करेगा, इनका उत्पीड़न रोकेगा और इनकी आजीविका में वृद्धि करेगा। हमने जनजातीय समुदाय की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर ध्यान देने वाली एक **राष्ट्रीय जनजातीय नीति** तैयार की है।

मेरी सरकार **अल्पसंख्यकों, विशेषतया उनमें से अत्यधिक पिछड़े लोगों के कल्याण** के लिए कटिबद्ध है। सभी अल्पसंख्यकों के कल्याण पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए अलग से एक **अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय** बनाया गया है। भारत में मुस्लिम–समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिए न्यायमूर्ति राजेन्द्र सच्चर की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की गई थी। समिति की रिपोर्ट 30 नवम्बर, 2006 को संसद के पटल पर रखी गई

थी और इस सत्र में इस पर चर्चा की जाएगी। हम यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे कि विकास के लाभों में सभी समान रूप से भागीदार हों और पिछड़े अल्पसंख्यक समूह हमारी विकास प्रक्रियाओं के सक्रिय भागीदार व लाभार्थी बनें। मेरी सरकार उन जिलों और कस्बों के लिए एक कार्यक्रम बनाने का विचार कर रही है जिनमें अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा तादाद में हैं।

पिछले वर्ष अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए **प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम** शुरू किया गया था। कार्यक्रम में कुछेक महत्वपूर्ण विकासात्मक योजनाओं की पहचान की गई है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र सृजित किया गया है कि इन स्कीमों का लाभ समान रूप से अल्पसंख्यक समुदायों को भी मिले। कतिपय अल्पसंख्यक समुदाय अभी भी अपेक्षाकृत पिछड़े हुए हैं जिनमें स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या अधिक है, बीच में स्कूल छोड़ने की दर ज्यादा है तथा शैक्षिक उपलब्धियां कम हैं। इन पर संकेन्द्रित ध्यान देने की आवश्यकता है। विद्यमान स्कीमों के अलावा मेरी सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के अर्हता प्राप्त विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक व्यापक छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू करने पर विचार कर रही है। मेरी सरकार समाज के सभी वर्गों में समता व उनके कल्याण के प्रति दृढ़ता से वचनबद्ध है।

विकास प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए हमें ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। त्वरित आर्थिक विकास और वाणिज्यिक ऊर्जा की बढ़ती मांग के लिए भारत में ऊर्जा सुरक्षा के एक नए प्रतिमान की आवश्यकता है। ऊर्जा की मूल्य–निर्धारण व संवितरण नीतियों पर एक राष्ट्रीय सर्वसम्मति बनाने की तत्काल आवश्यकता है। मेरी सरकार को पारंपरिक और नवीकरणीय, दोनों स्रोतों से ऊर्जा आपूर्ति को बढ़ाने की आवश्यकता का बोध है। कोयला क्षेत्र देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा का मुख्य आधार बना रहेगा। अतः यह आवश्यक है कि आगामी वर्षों में कोयला उत्पादन में पर्याप्त बढ़ोतरी की जाए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसके साथ–साथ, मेरी सरकार विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में नए निवेश को प्रोत्साहित करेगी। दो **अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं** स्थापित करने के लिए प्रतियोगी प्रशुल्क बोलियों को पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है और इस दिशा में आगे भी प्रयत्न जारी रहेंगे। संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग तथा स्वैच्छिक समर्थन से देश की विपुल जल–विद्युत क्षमता का उपयोग भी किया जायेगा। मेरी सरकार ने ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने और पर्यावरण संबंधी मामलों पर ध्यान देने के लिए असैनिक नाभिकीय ऊर्जा तथा नवीकरणीय ऊर्जा के सभी स्रोतों को उनकी पूर्ण क्षमता तक विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

मेरी सरकार ने हमारे देश मे **विश्वस्तरीय अवसंरचनाएं** विकसित करने पर विशेष बल दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम का 227,000 करोड़ रुपए के निवेश के लक्ष्य के साथ बहुत अधिक विस्तार किया गया है। **स्वर्णिम चतुर्भुज** पूरा होने ही वाला है। उत्तर–दक्षिण तथा पूर्व–पश्चिम कॉरिडोरों के निर्माण का कार्य आबंटित कर दिया गया है। सरकार ने स्वर्णिम चतुर्भज सहित लगभग 4,000 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन का बनाने तथा 6500 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग को 6 लेन का बनाने के कार्य को भी अनुमोदित कर दिया है। मेरी सरकार उत्तर–पूर्व के साथ संपर्क में सुधार लाने की तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए **उत्तर-पूर्व के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम** क्रियान्वित कर रही है।

मेरी सरकार **भारतीय रेल** की कायापलट करने में सफल रही है। पिछले 30 महीनों में रेल माल वाहन में 8–10 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है और यात्रियों की संख्या भी दुगनी हुई है। कंटेनर व्यापार को निजी व्यापार–क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। बेहतर आपूर्ति व मांग, प्रबंधन, क्षमता के युक्ति संगत उपयोग तथा बाजार संचालित मूल्य–निर्धारण नीतियों के परिणामस्वरूप भारतीय रेल एक बार फिर से दौड़ पड़ी है। अब आवश्यक है कि इस गति को बरकरार रखा जाए। इसके लिए आधुनिकीकरण तथा अतिरिक्त विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। निजी कंटेनर ट्रेन चलाने के प्रस्ताव पर उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया हुई है। प्रस्तावित **डेडिकेटिड रेल फ्रेट कॉरिडोर** पर प्रारंभिक कार्य शुरू हो चुका है। यह परियोजना कंटेनर, कोयला तथा अन्य खनिज यातायात के विकास के लिए आवश्यक अवसंरचनात्मक सहयोग प्रदान करेगी। यह परियोजना द्रुतगति से कार्य कर रही है। इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम–डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई है।

हाल ही के वर्षों में **नागर विमानन** के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। तेजी से बढ़ते हवाई यातायात की मांग पूरी करने के लिए मेरी सरकार ने देश के बड़े हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण तथा हवाई–सेवाओं को उदार बनाने की शुरूआत की है। हवाई अड्डों के विकास के क्षेत्र में निवेश तेजी से बढ़ रहा है।

वैश्विक व्यापार में तेजी से बढ़ती हमारी हिस्सेदारी के साथ–साथ चलने के लिए मेरी सरकार ने **पत्तन** अवसंरचना के वृहत् क्षमता विस्तार हेतु एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है। चेन्नई में एक भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव है जिसके कोलकाता, मुम्बई और विशाखापत्तनम में क्षेत्रीय परिसर होंगे। गोदावरी और महानदी के कुछ भागों को अंतर्देशीय जलमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव भी है।

मेरी सरकार ने सड़कों, पत्तनों, हवाई अड्डों तथा विद्युत उत्पादन

जैसी अवसंरचनाओं के निर्माण के लिए कार्यनीति के रूप में **सार्वजनिक-निजी-भागीदारी** को बढ़ावा देने हेतु विशेष प्रयास किए हैं। ऐसी नीति से अतिरिक्त निवेश आता है जो सार्वजनिक क्षेत्र के सीमांत संसाधनों में वृद्धि करता है। साथ ही, निजी क्षेत्र की दक्षता से कीमतों में कमी आती है, परियोजनाएं शीघ्र पूरी होती हैं तथा सेवाएं बेहतर रूप से प्रदान की जा सकती हैं। इन प्रयासों के फलस्वरूप इन क्षेत्रों में पर्याप्त सुधार देखे जा सकते हैं।

माननीय सदस्यों को यह जानकर हर्ष होगा कि वर्ष 2006-07 में विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि की दर 11 प्रतिशत के लगभग आंकी गई थी। ऑटोमोटिव उद्योग, वस्त्र, फॉर्मास्यूटिकल, इस्पात, पैट्रो रसायन, सीमेंट इत्यादि महत्वपूर्ण क्षेत्रों का कार्य-निष्पादन उत्साहजनक रहा है। हम घरेलू उद्यमों को पुनः सशक्त बनाने में स्पष्टतः सफल रहे हैं। राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक परिषद् द्वारा तैयार **विनिर्माण की राष्ट्रीय कार्यनीति** त्वरित औद्योगिक व रोजगार विकास का आधार प्रदान करती है। भारत में ऑटो क्षेत्र के विकास के लिए संरचना प्रदान करने के लिए एक **ऑटोमोटिव मिशन योजना 2006-2016** तैयार की गई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बढ़ते आगमन से औद्योगिक क्षेत्र को भी लाभ हुआ है। यहां भी, इस वर्ष विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 10 बिलियन अमरीकी डालर को पार कर गया है और यह पहली बार विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश को भी पार कर गया हैं

यह संतोष का विषय है कि हमारा वस्त्र उद्योग बहु-तन्तु (मल्टी फाइबर) करार के बाद की व्यवस्था में व्यापक रोजगार का सृजन करने, निर्यात को बढ़ावा देने तथा अपना कार्य-निष्पादन सुधारने में सफल रहा है। बुनकरों की सहायता के लिए एक संकेन्द्रित व्यवस्था जिसके अंतर्गत समूह विकास केन्द्रों की संख्या में वृद्धि, और अधिक धागा डिपो, प्रौद्योगिकी उन्नयन में सहयोग, बुनकरों के लिए स्वास्थ्य तथा जीवन बीमा कार्यक्रम तथा हथकरघा उत्पादों को ब्रांड आधारित बनाने के लिए एक नया **"हैंडलूम मार्क"** विद्यमान है।

मेरी सरकार ने केन्द्रीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की पुनर्संरचना की है। ग्रामीण उद्योगों को और बढ़ावा देने के लिए वर्धा में **महात्मा गांधी ग्रामीण उद्योग संस्थान** की स्थापना की गई है। ये उद्योग हमारी ग्रामीण जनता के एक बहुत बड़े भाग को लाभप्रद रोजगार प्रदान करते हैं। अति लघु, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 प्रभावी हो गया है। इससे उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता की प्रगति, विकास और संवर्धन में सुविधा होगी। मेरी सरकार असंगठित क्षेत्र में मजदूरों को न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है और इस उद्देश्य के लिए बनाए जाने वाले कानून का प्रारूप विचाराधीन है। मेरी सरकार हमारे कार्यबल के कौशल तथा सामर्थ्य में सुधार लाने के लिए **व्यावसायिक शिक्षा मिशन** तथा अन्य पहलों सहित कौशल विकास का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करेगी। यदि हमें बढ़ते युवा कार्यबलों द्वारा उत्पन्न जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा उठाना है तो ऐसा करना आवश्यक है।

हमारा सूचना प्रौद्योगिक क्षेत्र लगातार विकास कर रहा है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में है। वर्ष 2007 **ब्रॉडबैण्ड का वर्ष** होगा। हम पूरे देश में ब्रॉडबैण्ड कवरेज उपलब्ध कराकर **"डिजिटल डिवाइड"** को पाटने के लिए वचनबद्ध हैं। मेरी सरकार इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर उद्योग तथा सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास को प्रोत्साहित कर रही है। अपने नागरिकों को बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए मेरी सरकार राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अंतर्गत **राष्ट्रीय पहचान पत्र परियोजना** को आगे बढ़ाएगी तथा चरणबद्ध रूप से इसे देशभर में लागू करेगी।

पर्यटन की संभावनाएं असीम हैं और इसके लाभ हमें दिखने भी लगे हैं। हाल ही के महीनों में, विदेशी पर्यटकों के आगमन, विदेशी मुद्रा अर्जन और रोजगार सृजन में प्रभावी वृद्धि हुई है। तथापि पर्यटन की क्षमताओं तथा भारत की समृद्ध धरोहर व विविधता को देखते हुए, हम घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों की संख्या में और अधिक वृद्धि कर सकते हैं। पर्यटन के लिए सार्वजनिक तथा निजी अवसंरचना की गुणवत्ता में सुधार करने के अलावा, मेरी सरकार देश भर में पर्यटन में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित कर रही है।

आधुनिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के उन्नत क्षेत्रों में अपने प्रयासों को बनाए रखने के लिए हमें वैज्ञानिकों की संख्या में वृद्धि करनी होगी और भारतीय विज्ञान की गुणवत्ता में सुधार करना होगा। मेरी सरकार बुनियादी विज्ञान की शिक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्रों की घटती संख्या तथा अन्य नई उद्योगजनक अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारतीय विज्ञान के पीछे रह जाने से अत्यंत चिंतित हैं। भारत को विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए सिरे से बल देने की आवश्यकता है। हमें बाजार के दबावों का मुकाबला करने के लिए अपनी विश्वविद्यालय पद्धति में भी शक्ति का संचार करने तथा उसे समर्थ बनाने की आवश्यकता है ताकि यह प्रतिभाओं के पलायन को रोक सके व उन्हें आकर्षित कर सके।

2015 तक एक सशक्त विज्ञान व प्रौद्योगिक आधार विकसित करने के लिए भावी रूपरेखा बनाई गई है। प्रतिभाओं को आकर्षित करने, विश्वविद्यालय अनुसंधान में नयापन लाने, महिला वैज्ञानिकों को विज्ञान के क्षेत्र में फिर से केरियर बनाने के लिए समर्थ बनाने, प्रौद्योगिकी व्यापार उद्भवन (इन्क्यूबेशन) प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने, अनुसंधान में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने, अनुसंधान तथा विकास में निजी क्षेत्र को शामिल करने तथा अपने लोगों में विज्ञान के प्रति और अधिक जागरूकता तथा

वैज्ञानिक सोच उत्पन्न करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। मेरी सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिक के वित्तीय आबंटन को सकल घरेलू उत्पाद के 1 प्रतिशत से कम से बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 2 प्रतिशत करने की इच्छुक है।

हमारे वैज्ञानिकों ने नाभिकीय ऊर्जा, अंतरिक्ष, जैव-प्रौद्योगिकी, आनुवंशिकी तथा औषधीय क्षेत्रों में ख्याति अर्जित की है। इस वर्ष हमारे **अंतरिक्ष कार्यक्रम** में भी प्रभावशाली सफलताएं प्राप्त की गई हैं। हाल ही में पीएसएलवी को लगातार नौंवी बार सफलतापूर्वक छोड़ा जाना, चार उपग्रहों को सही पूर्व निर्धारित कक्षा में रखा जाना और स्पेस कैपसूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट तथा साथ ही चन्द्रयान मिशन की तैयारियों में हो रही प्रगति उत्कृष्टता की उस सुयोग्य प्रतिष्ठा को साबित करती है जो इसरो तथा हमारे **अंतरिक्ष कार्यक्रम** को मिली है। परमाणु ऊर्जा विभाग, जो स्वदेशी संसाधनों का उपयोग करते हुए सुरक्षित, किफायती तथा पर्यावरण-अनुकूल ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए नाभिकीय प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है, ने तारापुर में देश के विकसित 540 एम डब्ल्यू ई यूनिट 3 व 4 को प्रारंभ कर दिया है। हम अपने देश के तीन चरण वाले नाभिकीय कार्यक्रम के विकास के लिए वचनबद्ध हैं।

मेरी सरकार पुलिस बल, सुरक्षा बल तथा आसूचना एजेंसियों के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जम्मू व कश्मीर तथा नक्सलवादी गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए अपनाए गए संकेन्द्रित तथा सर्वांगीण प्रयास अब सफल हो रहे हैं। मेरी सरकार आतंकवाद तथा उग्रवाद से उत्पन्न चुनौतियों को स्वीकार करती है और उनसे निपटने के लिए कृतसंकल्प है। जहां हमारी सुरक्षा तथा आसूचना एजेंसियों ने आतंक फैलाने के आतंकवादी गुटों के कई प्रयासों को सफलतापूर्वक नाकाम किया है वहीं मुम्बई तथा असम में और अभी हाल ही में, समझौता एक्सप्रेस पर हमले की दुखद और कायरतापूर्ण आतंकी घटनाएं हुई हैं। मेरी सरकार सामने आई इन सभी चुनौतियों से सख्ती से निपट रही है।

उत्तर-पूर्व, जम्मू व कश्मीर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था तथा आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, मेरी सरकार हमारे देश के इन हिस्सों के समग्र, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विकास पर ध्यान केन्द्रित करेगी जिसका लक्ष्य समाज के सभी वर्गों की राष्ट्रीय मुख्य धारा में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना होगा। मेरी सरकार जम्मू व कश्मीर तथा उत्तर-पूर्व, दोनों में लोगों के **दुःख-दर्द का निवारण** करती रहेगी जबकि आतंकवादी और उग्रवादी ताकतों पर कड़ी नजर रखेगी। मेरी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च महत्व देती है कि सभी एजेंसियां कठिनतम परिस्थितियों में भी बुनियादी मानवाधिकारों का सम्मान करें।

शहरी अपराध और हिंसा, जिसके शिकार विशेष तौर पर बच्चे और महिलाएं हैं, के बारे में लोगों की चिन्ता बढ़ रही है। मेरी सरकार हमारे पुलिस बलों को, हमारे नागरिकों की चिंताओं और आवश्यकताओं के प्रति और अधिक संवेदनशील बनाने और उनकी समस्याओं को निपटाने में और अधिक दक्ष और मानवतावादी बनाने के लिए कटिबद्ध है।

मेरी सरकार हमारी न्यायिक पद्धति, विशेष तौर से जहां यह हमारे नागरिकों के कल्याण पर प्रभाव डालती है, में और अधिक दक्षता, पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने और न्याय प्रदानगी पद्धति को तेज करने पर लक्षित **न्यायिक सुधार** करने के लिए कटिबद्ध है। न्यायपालिका में और अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए **राष्ट्रीय न्यायिक परिषद** के गठन हेतु एक विधेयक संसद के पटल पर पहले ही रखा जा चुका है। छोटे मामलों का शीघ्रता से निपटान करने के लिए प्रक्रियाओं को कुछ लचीला बनाकर जन-अनुकूल स्थानीय न्यायालयों की स्थापना के लिए **ग्रामीण न्यायालय विधेयक** लाया जा रहा है।

देश की रक्षा मेरी सरकार की अडिग प्रतिबद्धता है। ऐसे समय में जब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नए और अपारंपरिक खतरों में वृद्धि देखी जा रही है, सामरिक माहौल क्षीण बना हुआ है, सरकार देश की रक्षा को सुदृढ़ करने पर ध्यान केन्द्रित रखेगी। ऐसा करने के लिए हम अपने सशस्त्र बलों को सर्वोत्तम संभव साधन उपलब्ध करवाएंगे। मेरी सरकार हमारे सशस्त्र बलों और हमारे देशी रक्षा उद्योग के आधुनिकीकरण में निवेश कर रही है ताकि उन्हें मौजूदा और उभर रही चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह सक्षम बनाया जा सके। हमारे सशस्त्र बल अनेक भागीदार देशों के साथ सहयोगी अभ्यासों में भी लगे हुए हैं और उनका कार्य-निष्पादन निरपवाद रूप से प्रशंसनीय रहा है। राष्ट्र उनके योगदान के लिए उनका आभारी है। हमारे पूर्व सैनिकों का कल्याण मेरी सरकार की एक प्राथमिकता है।

मेरी सरकार की **विदेश नीति** क्षेत्र में शांति और स्थिरता के अनुकूल बाह्य वातावरण बनाने, अपना द्रुत आर्थिक विकास सुनिश्चित करने और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के उपाय करने की इच्छा से तैयार की गई है। इस प्रबुद्ध राष्ट्रीय हित के अनुसरण में, मेरी सरकार व्यापक रूप से सक्रिय हुई है – विश्व की सभी प्रमुख शक्तियों के साथ, अपने बढ़ते पड़ोस के साथ और विकासशील विश्व तथा गुट-निरपेक्ष आंदोलन के अपने भागीदारों के साथ।

अभी फरवरी में, हमने 1949 की पहली संधि के स्थान पर नई **भारत-भूटान मैत्री संधि** पर हस्ताक्षर किए हैं। नई संधि समकालिक वास्तविकता को दर्शाने के लिए हमारे द्विपक्षीय संबंधों के कानूनी

आधार को अद्यतन करती है। यह दोनों देशों के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमारे संबंधों को उच्चतर स्तर पर सुदृढ़ करेगी और बढ़ाएगी। हमने नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र की बहाली और शांति प्रक्रिया की सफलता के लिए अपने पूर्ण समर्थन को दोहराया है। एक मित्र और पड़ोसी के नाते भारत यह चाहता है कि बांग्लादेश एक लोकतांत्रिक, स्थिर और खुशहाल देश हो। हमने जातीय मुद्दे का बातचीत के जरिए किए जाने वाले राजनीतिक समाधान, जो कि श्रीलंकाई समाज के सभी वर्गों को स्वीकार्य हो, की आवश्यकता श्रीलंका के उच्च-राजनीतिक नेताओं को बताई है। यह संतोष का विषय है कि पाकिस्तान के साथ वार्ता की प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़ रही है। संयुक्त वार्ता, संयुक्त आयोग और आतंकवादरोधी सांस्थानिक तंत्र ने एक संरचनात्मक ढांचा उपलब्ध कराया है जिसके भीतर सभी मुख्य मुद्दों पर बातचीत की जा रही है। हम घुसपैठ और सीमापार आतंकवाद के बारे में चिंतित हैं और बातचीत की प्रक्रिया की सफलता पाकिस्तान की अपनी इस प्रतिबद्धता पर आधारित है कि वह किसी भी तरीके से अपने नियंत्रणाधीन किसी भी क्षेत्र को आतंकवाद को समर्थन देने के लिए इस्तेमाल न होने दे।

भारत इस वर्ष अप्रैल में 14वें सार्क शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सार्क का अध्यक्ष होने के नाते भारत यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा कि सार्क हमारे क्षेत्र में शांति और प्रगति का दूत बने। दक्षिणी एशिया के लोगों की एक साझी धरोहर और एक साझी नियति है। हम विशेष रूप से खुश हैं कि अफगानिस्तान आगामी शिखर-सम्मेलन में सार्क का 8वां सदस्य होगा। भारत-अफगानिस्तान संबंधों के महत्व पर भारत और अफगानिस्तान द्वारा नवम्बर, 2006 में आयोजित अफगानिस्तान संबंधी दूसरे क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग सम्मेलन में बल दिया गया था।

भारत-अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों में आए बदलाव से रक्षा और सुरक्षा मुद्दों, आतंकवादरोधी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, व्यापार, अंतरिक्ष, नाभिकीय ऊर्जा सहित ऊर्जा, कृषि, समुद्री सहयोग और पर्यावरण सहित अनेक क्षेत्रों में व्यापक स्तरीय संबद्धताएं की हैं। 18 जुलाई, 2005 में भारत-अमेरिका के संयुक्त वक्तव्य और 2 मार्च, 2006 की सेपरेशन प्लान में तय मापदण्डों के भीतर असैनिक नाभिकीय ऊर्जा सहयोग पर अमेरिका के साथ हुए एक करार के लिए किए गए प्रयासों से माननीय सदस्य अवगत हैं। भारत यूरोपीय संघ के साथ रणनीतिक भागीदार है जिसमें व्यापार और निवेश, संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित व्यापक क्षेत्र शामिल हैं। विस्तृत आधार वाले भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और निवेश करार पर बातचीत शुरू की जानी है।

हाल ही में हमारे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति पुतिन की ऐतिहासिक यात्रा ने उस व्यापक आधार वाले सहयोग की विशिष्टता उजागर की है जो रूस के भारत के दीर्घकालिक संबंधों को दर्शाता है। दोनों देशों के एक संयुक्त उद्यम के द्वारा ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र का विकास, हमारे आपसी सहयोग से मिलने वाले लाभ को दर्शाता है। यात्रा के दौरान हुए करारों से ऊर्जा, उच्च प्रौद्योगिकी, रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्रों में हमारे सहयोग में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। भारत और रूस के बीच सामरिक साझेदारी और अधिक सुदृढ़ होगी।

नवम्बर, 2006 में चीन के राष्ट्रपति हू जिन्ताओ की भारत यात्रा से भारत-चीन संबंधों के सतत और व्यापक विकास की प्रक्रिया सुदृढ़ हुई है। दोनों देश हमारी नीतिगत साझेदारी को अधिक सशक्त बनाने और भविष्य के लिए कार्योन्मुख कार्य सूची विकसित करने के लिए 10 आयामी नीति पर सहमत हुए।

भारत की "लुक ईस्ट पॉलिसी" आसियान और हमारे पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ संबंध बढ़ाने में सहयोगी रही है। पूर्वी एशियाई और भारत-आसियान शिखर सम्मेलनों में भारत की भागीदारी से इस क्षेत्र के साथ हमारे पुराने संबंध ताजा हुए हैं, और आर्थिक संबंध मजबूत हुए हैं। सिंगापुर, चीन, जापान, कोरिया और अन्य देशों ने "नालन्दा परियोजना" में काफी रुचि दर्शायी है जिसमें भारत में अन्तर-सभ्यतापरक संवाद के लिए एक एशियाई केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

गत वर्ष एक सार्वभौमिक और रणनीतिक साझेदारी प्रारम्भ होने के साथ ही जापान के साथ भारत के संबंधों ने नए युग में प्रवेश किया है। एक विशेष आर्थिक साझेदारी की पहल विशेष रूप से अवसंरचना, विद्युत उत्पादन और एक औद्योगिक कॉरिडोर की स्थापना में निवेश को बढ़ावा देगी। एक व्यापक आर्थिक साझेदारी करार के लिए बातचीत प्रगति पर है। हम इस वर्ष प्रधानमंत्री आबे के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

गत वर्ष गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भारत के विकास को अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे का केन्द्र बिन्दु बनाने में अन्य सदस्यों के साथ मिलकर काम किया। मेरी सरकार पश्चिम एशिया और फारस की खाड़ी क्षेत्र के देशों के साथ संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए सक्रियता से कार्य कर रही है। हम इस क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता देखना चाहते हैं। हिंसा का परित्याग करने और सभी संबंधितों के न्यायसंगत हितों को ध्यान में रखते हुए शांतिवार्ताओं द्वारा इसका एक व्यापक समाधान ढूंढने के लिए हमने पश्चिम एशिया के सभी पक्षों का आह्वान किया है। मेरी सरकार ने इराक को एक स्थिर, शांतिप्रिय, सम्पन्न, संगठित और लोकतांत्रिक रूप में देखने की अपनी इच्छा को भी दोहराया है। गत वर्ष सऊदी अरब के आला हज़रत शाह और उसके बाद कुवैत के अमीर,

जार्डन के राजा की यात्राएं और अभी हाल ही में विदेश मंत्री की ईरान यात्रा, भारतीयों के लिए ऊर्जा सुरक्षा और रोजगार के अवसरों के लिए महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में हमारे स्थायी हितों के महत्व को उजागर करती हैं। भारत, अफ्रीका और लेटिन अमरीका के देशों के साथ अपने संबंधों को और गहन बनाने और उनमें विविधता लाने पर भी कार्य कर रहा है। गत वर्ष **दक्षिण अफ्रीका** और **ब्राजील** के साथ भारत के संबंध बढ़े हैं। **भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका** के ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका के सबसे बड़े लोकतंत्रों को एकजुट कर दक्षिण–दक्षिण सहयोग के प्रति हमारी वचनबद्धता को पुनरुज्जीवित किया है। पैन अफ्रीकी–ई–नेटवर्क, जो हमारी मदद से कार्यान्वित किया जा रहा है, ने अफ्रीका और भारत के बीच उच्च तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान किया है।

मेरी सरकार ने **प्रवासी भारतीय कामगारों**, विशेष रूप से पश्चिम एशिया और खाड़ी देशों में कार्य कर रहे कामगारों के संरक्षण और कल्याण की ओर विशेष ध्यान दिया है। हम उनकी उद्यमशीलता की भावना की सराहना करते हैं और उन्हें भारत के विकास में और अधिक सक्रियता से लगे हुए देखना चाहते हैं। प्रवासी भारतीय नागरिकता कार्ड योजना से भारतीय मूल के लोगों की काफी समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। हम अब भारत में **भारतीय मूल के व्यक्तियों का विश्वविद्यालय** स्थापित करने के प्रस्ताव पर कार्य कर रहे हैं। मेरी सरकार प्रतिभा पलायन की दिशा पलटने के लिए कदम उठा रही है ताकि भारत की कुछ मेधावी और प्रतिभावान संतानें अपनी मातृभूमि को लौटें।

भारत ने एक शीघ्र सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचने के उद्देश्य से विश्व व्यापार संगठन में **दोहा दौर** के सभी क्षेत्रों में बातचीत को पुनः शुरू करने का स्वागत किया है। गतिरोध दूर करने के लिए विकसित देशों को अपने कृषि क्षेत्र को बड़ी मात्रा में दी जा रही व्यापार को विकृत करने वाली सब्सिडियों को कम करने के सार्थक उपाय करने चाहिएं। साथ ही, विकासशील देशों में जहां कृषि जीवन–यापन का प्रमुख साधन है, वहां यह अवश्यक हो जाता है कि सरकारों को उनके कम आय वाले तथा असुरक्षित किसानों के सम्मुख विद्यमान कीमतों में गिरावट व स्थिरता और आक्रामक प्रतियोगिता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए समुचित लचीली नीतियों की मार्फत समर्थ बनाया जाए। विकासशील देशों द्वारा निर्यात किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध कराना भी उतना ही महत्वपूर्ण है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दोहा दौर वास्तव में विकास का दौर ही हो।

माननीय सदस्यों, हमारा देश विकास के एक नए युग की दहलीज पर खड़ा है। हमारे कामगार लोगों, हमारे व्यावसायिकों और उद्यमियों में आत्मविश्वास की भावना और उनकी गतिशीलता हमें आशान्वित करती है। तथापि, मेरी सरकार मानती है कि विकास तभी सार्थक होगा जब यह सर्वसमावेशी होगा। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नवीन ऊर्जा का संचार करें और गांवों तथा शहरों के बीच बढ़ती असमानताओं को दूर करें। सरकार में सुधार, इसे अधिक पारदर्शी और उत्तरकारी बनाना तथा भ्रष्टाचार के कैंसर का उन्मूलन समग्र विकास की किसी भी नीति के अनिवार्य तत्व हैं। **सूचना का अधिकार अधिनियम** हमारे नागरिकों को सशक्त बनाने का एक साधन है। एक और अधिक शक्तिशाली अस्त्र जो उनके हाथों में है वह है हमारी गरिमामयी संसद में अपनी आवाज उठाने और शिकायतों का समाधान पाने का अधिकार। जैसा कि कहा जाता है – सतत् जागरूकता के जरिए ही लोकतंत्र बहाल रखा जा सकता है। माननीय सदस्यों, आप, यहां हमारी जनता के प्रतिनिधि हैं। आपका यह दायित्व हो जाता है कि आप हमारे लोकतंत्र की महान संस्थाओं की मार्फत यह सुनिश्चित करें कि हमारे देश के लोगों को बेहतर प्रशासन मिले। मुझे आशा है कि आपको जो अधिकार मिले हैं, आप उनका इस्तेमाल हमारी जनता और हमारे राष्ट्र के हित में करेंगे। इस वर्ष संसद की कार्यवाही के सार्थक संचालन के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

जय हिन्द।

अपराह्न 12.38 बजे

त्रिनिदाद और टोबेगो गणराज्य के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे एक घोषणा करनी है।

मैं अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से, त्रिनिदाद और टोबेगो गणराज्य से हमारे सम्मानित अतिथियों के रूप में भारत की यात्रा पर आए हाउस ऑफ रेप्रजेन्टेटिव के स्पीकर, महामहिम श्री बरेन्द्रा सीमानन; सीनेट की प्रेजीडेंट, महामहिम डा. लिंडा बाबूलाल तथा संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का स्वागत करता हूं।

वे गुरूवार, 22 फरवरी, 2007 को भारत पहुंचे। वे इस समय विशेष प्रकोष्ठ में बैठे हैं। हम कामना करते हैं कि हमारे देश में उनका प्रवास सुखद और लाभप्रद होगा। हम उनके माध्यम से त्रिनिदाद और टोबेगो गणराज्य के राष्ट्रपति, संसद, सरकार तथा मित्र जनता को अपनी शुभकामनाएं देते हैं।

अपराह्न 12.40 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

पानीपत के निकट दिल्ली-अटारी लिंक एक्सप्रेस में विस्फोट के कारण आग

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री लालू प्रसाद जी वक्तव्य देंगे।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : महोदय, मुझे सदन को सूचना देते हुए अत्यंत दुःख हो रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब आप वक्तव्य सभापटल पर रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपना वक्तव्य सभापटल पर रखता हूं।

*दिनांक 18.2.2007 को उत्तर रेलवे के पानीपत स्टेशन के समीप गाड़ी संख्या 4001 अप, दिल्ली–अटारी लिंक एक्सप्रेस के सामान्य श्रेणी के दो डिब्बों में रात्रि के लगभग 23.55 बजे बम विस्फोट के कारण अकस्मात् आग लगने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई।

घटना के तुरंत बाद पानीपत के रेलवे अधिकारी एवं राहत दल घटना स्थल पर पहुंचे। रेलवे बचाव एवं राहत दलों को दिल्ली एवं अम्बाला से भी दुर्घटना स्थल के लिए रवाना किया गया तथा उत्तर रेलवे मुख्यालय एवं दिल्ली मंडल के उच्चाधिकारी भी तुरंत घटना स्थल के लिए रवाना हुए। रेलवे एवं स्थानीय प्रशासन के अग्नि शामक एवं चिकित्सीय बचाव दलों की मदद से युद्ध–स्तर पर राहत कार्य शुरू किया गया। माननीय रेल राज्य मंत्री, अध्यक्ष/रेलवे बोर्ड, महानिदेशक/रेलवे सुरक्षा बल, महानिदेशक/रेल स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि वरिष्ठ पदाधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंचे मैंने स्वयं घटना स्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। हमने सफदरजंग अस्पताल जाकर घायल व्यक्तियों से भी मुलाकात की और सभी आवश्यक उपचार व्यवस्था करने के निर्देश दिए। माननीय गृह मंत्री ने भी घटना स्थल का दौरा किया।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 5788–ए/2007

अभी तक की सूचना के अनुसार इस घटना में 3 रेल कर्मियों सहित 68 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है एवं 7 व्यक्तियों को गंभीर और 5 व्यक्तियों को मामूली चोटें आई हैं। विदेश एवं गृह मंत्रालयों तथा स्थानीय पुलिस के समन्वय से मृतकों की पहचान एवं संबंधित परिजनों को भारत लाने का प्रयास निरंतर जारी है। घायल व्यक्तियों को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में विशेष उपचार के लिए भर्ती किया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए मैंने मृत व्यक्तियों के निकट संबंधियों को सामान्य देय राशि से कई गुना अधिक 10 लाख रुपए और घायल व्यक्तियों को 50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पीड़ित व्यक्तियों को रेलवे दावा प्राधिकरण के नियमानुसार 4 लाख रुपए तक का मुआवजा इस राशि के अतिरिक्त दिया जायेगा। मैंने मृतकों के शवों की पहचान के लिए आए उनके परिजनों एवं शवों को वापिस ले जाने से संबंधित भारतीय रेल पर सभी रेल यात्राएं निःशुल्क करने के आदेश दे दिए हैं।

फोरेंसिक जांच विशेषज्ञों ने दुर्घटना स्थल से लिए जांच नमूनों के आधार पर यह संभावना व्यक्त की है कि अकस्मात् आग की घटना विस्फोट के कारण हुई। बम निरोधक दस्ते ने दुर्घटना स्थल से तीन सूटकेसों को भी बरामद किया है, जिनमें आईईडी व मिट्टी का तेल/पेट्रोल था। राजकीय रेलवे पुलिस पानीपत ने भारतीय दंड संहिता, रेलवे अधिनियम एवं भारतीय विस्फोटक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना की रेलवे संरक्षा आयुक्त, उत्तर सर्कल द्वारा भी वैधानिक जांच की जा रही है।

दिल्ली–अटारी लिंक एक्सप्रेस रेल यात्रियों की कस्टम एवं इमीग्रेशन संबंधित सभी जांचें अटारी में ही की जाती हैं। इस गाड़ी तथा थार एक्सप्रेस में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए राज्य सरकार की मदद से रेलवे सुरक्षा बल द्वारा स्टेशनों एवं गाड़ियों की चौकसी को और भी पुख्ता किया जा रहा है। इन गाड़ियों में पूर्ण आरक्षण की व्यवस्था, गाड़ी में घुसने से पूर्व गाड़ी के हर यात्री एवं उनके सामान की पहचान, अतिरिक्त सामान को जांच के बाद अलग डिब्बे में रखने आदि कई कदम उठाए जा रहे हैं।

इन गंभीर बम धमाकों के मद्देनजर रेल सुरक्षा बल को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। मौजूदा डॉग स्क्वायड के प्रत्येक दस्ते में प्रशिक्षित स्नीफर डॉग की संख्या बढ़ाने के अलावा देश के बहुत से संवेदनशील मंडलों में रेलगाड़ियों और रेल यात्रियों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए विस्फोटकों का पता लगाने वाली मशीन, बम निरोधी उपकरण, डोर–फ्रेम तथा हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर आदि उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अलावा सभी संवेदनशील स्टेशनों पर सीसीटीवी और स्मार्ट वीडियो कैमरे जैसे उपकरण लगाए

जा रहे हैं। रेलवे सुरक्षा बल प्रतिदिन 1450 से अधिक ट्रेनों को एस्कोर्ट कर रहा है। बल में मानव संसाधन की कमी को दूर करने हेतु वर्तमान रिक्तियों को प्राथमिकता से भरा जा रहा है तथा नए पद भी सृजित करने पर विचार चल रहा है। रेलवे सुरक्षा बल की व्यावसायिक दक्षता एवं कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए उन्हें गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रेल सुरक्षा कार्यों के लिए आवश्यक उपकरण एवं अन्य साधन उपलब्ध कराने के लिए धनराशि यात्री सुविधा एवं मशीन एवं प्लांट योजना शीर्ष से आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराई जा रही है। इन कार्यों के लिए आबंटन में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जाएगी एवं मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इन कार्यों के लिए धनराशि की कमी नहीं होने दी जाएगी।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, यह जो स्टेटमेंट है, इसमें पूरी सरकार की विफलता है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। इस विषय को इस तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

[हिन्दी]

सरकार की पूरी तरह से विफलता हुई है।

श्री मोहम्मद सलीम (कलकत्ता–उत्तर पूर्व) : हम सब चर्चा चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा करेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब मैं निधन संबंधी उल्लेख पढ़ूंगा।

अपराह्न 12.41 बजे

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे सभा को इस सदन के वर्तमान सदस्य, श्री मानवेन्द्र शाह और एक भूतपूर्व सहयोगी श्री श्यामाचरण शुक्ल के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री मानवेन्द्र शाह, चौदहवीं लोक सभा के वर्तमान सदस्य थे तथा उन्होंने उत्तराखंड (पूर्व उत्तरांचल) के टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री शाह ने उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का वर्ष 1957 से 1970 तथा वर्ष 1991 से 2004 तक दूसरी से चौथी तथा दसवीं से तेरहवीं लोक सभा में प्रतिनिधित्व किया।

एक योग्य संसदविद् श्री शाह तीसरी लोक सभा के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य और पेयजल संबंधी समिति के सभापति रहे तथा दसवीं लोक सभा के दौरान वित्त और परामर्शदात्री समिति, भूतल परिवहन मंत्रालय के सदस्य रहे।

ग्यारहवीं लोक सभा में वह सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति; विदेशी मामले संबंधी समिति और विद्युत मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। बारहवीं लोक सभा के दौरान सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति के सभापति और सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति तथा परिवहन और पर्यटन संबंधी समिति के सदस्य रहे। वह रक्षा मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के भी सदस्य रहे। तेरहवीं लोक सभा के दौरान उन्होंने गृह कार्य संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। चौदहवीं लोक सभा में वह सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति; प्राक्कलन समिति तथा परिवहन और पर्यटन समिति और संस्कृति संबंधी समिति के सदस्य रहे।

श्री शाह तत्कालीन राजपरिवार से ताल्लुल रखते थे। वह सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक न्यासों, संस्थाओं और संगठनों से सक्रिय रूप से जुड़े रहे और उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों के विकास में गहरी रुचि ली। वह बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के संरक्षक रहे। उन्होंने मंदिर प्रबंधन बोर्ड, टिहरी गढ़वाल के अध्यक्ष और महाराजा नरेन्द्र शाह न्यास और महाराजा कीर्ति शाह न्यास के न्यासी के रूप में भी कार्य किया।

श्री शाह 1980 से 1983 तक आयरलैंड में भारत के राजदूत रहे। उन्होंने अनेक देशों की यात्रा की। वह 1996 में आस्ट्रेलिया जाने वाले भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य थे।

श्री मानवेन्द्र शाह का निधन एक लम्बी बीमारी के पश्चात् 86 वर्ष की आयु में 5 जनवरी, 2007 को नई दिल्ली में हुआ।

श्री श्यामाचरण शुक्ल 1999 से 2004 तक छत्तीसगढ़ (तत्कालीन मध्य प्रदेश) के महासमुंद संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में तेरहवीं लोक सभा के सदस्य रहे।

श्री शुक्ल एक योग्य सांसद थे। उन्होंने 1999 से 2000 तक पेट्रोलियम और रसायन संबंधी समिति और तत्पश्चात् रक्षा मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया।

इससे पूर्व वह 1957 से लेकर 1977 तक और 1990 से लेकर 1999 तक 6 बार मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। वह 1967 से 1969 तक मध्य प्रदेश विधान सभा में विपक्ष के नेता भी रहे। श्री शुक्ल वर्ष 1969 से 1972, 1975 से 1977 और 1989 से 90 तक तीन बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने कुशलतापूर्वक राज्य की सेवा की।

एक जन नेता के रूप में भी श्री शुक्ल ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान विशेष रूप से सिंचाई और कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

श्री श्यामाचरण शुक्ल का निधन लम्बी बीमारी के बाद 14 फरवरी, 2007 को 82 वर्ष की आयु में छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मैं अपनी तथा सभा की ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, 18 फरवरी, 2007 को हरियाणा में पानीपत के निकट पाकिस्तान जा रही, अटारी–समझौता एक्सप्रेस में हुए दो बम विस्फोटों में लगभग 68 यात्री मारे गए और अनेक यात्री घायल हुए। इन शक्तिशाली विस्फोटों में दो बोगियों में आग लग गई और वे पूरी तरह जलकर राख हो गईं।

इस नृशंस हिंसा को अंजाम देने वाले लोगों का इरादा भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे शान्ति प्रयासों को विफल करना था। ऐसी हिंसा से हम आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई से विमुख नहीं होंगे। हम ऐसी सभी विघटनकारी ताकतों से दृढ़ता से निपटने और शांति बनाए रखने का संकल्प करते हैं।

20 फरवरी, 2007 को केरल में कोटामंगलम के निकट थाट्टेक्कड पक्षी अभयारण्य के भूतातनकेट्टु रिजर्वायर में नाव डूब जाने की एक घटना में प्राथमिक स्कूल के 15 छात्रों और 3 शिक्षकों की मृत्यु हो गई।

सभा इन दुर्घटनाओं में मारे गए और घायल हुए लोगों के प्रति गहरा दुख व्यक्त करती है।

अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी होगी।

अपराह्न 12.43 बजे

तत्पश्चात् सदस्य थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा सोमवार 26 फरवरी, 2007 तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.44 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 26 फरवरी, 2007/7 फाल्गुन, 1928 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी वी चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली–110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस. – 48/25/1/ 2007 (एन.)
232

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली – 110006 द्वारा मुद्रित।